फर्द अहकाम

जितेन्द्र कुमार बनाम मंजू देवी वगै०

यायालय :- ACM-दूदू

संख्याः- 50 /2020

फागी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 18/11/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	
18/11/20	वकील पक्षकारान उपन बहस करना जाहिर किया। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 02/12/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	
02/12/20	वकील पक्षकारान उपन आदेश सुनाया गया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस

राजस्व वाद–पत्र संख्या 50/2020

रज्जु दिनांक : 22/07/2020

निर्णय दिनांक : 02/12/2020

जितेन्द्र कुमार गौड पुत्र भरतलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी गंगातीकलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

——वादी

बनाम

1. मंजु देवी धर्मपत्नी भरतलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी गंगातीकलां तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. शाखा प्रबंधक, दी सेन्ट्रल कोपरेटीव बैंक लि0 शाखा दूदू जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री भैरूलाल शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री छोटुलाल गुर्जर
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीनी संख्या 1
प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार हैं।
प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैराकार उपस्थिति।

निर्णय दिनांक 02/12/2020

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 130 की आराजी खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279/1246 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53/1243

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर व खाता संख्या 114 के आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.19 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गंगातीकलां तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी अन्य खातेदारान के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 130 में हिस्सा में हिस्सा 1/2, खाता संख्या 114 में हिस्सा 1/12 व खाता संख्या 52 में हिस्सा 1/6 मे राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज है। जो कि गलत है। मुताबिक अनुतोष खातेदारी दर्ज कि जानी चाहीये थी। हाल खसरा नम्बर 40, 1139, 22, 23, 279/1246, 280, 52, 53/1243, 593 व 91 के साबिक खसरा नम्बर 269, 1140, 519/3, 520, 397/2, 395/3/2, 267/1/3, 501/3, 266 वाके ग्राम गंगातीकलां से कायम किये गये है, जो मिलाल क्षैत्रफल से प्रमाणित है। विवादित भूमि वादी के दत्तक पिता श्री भरतलाल पुत्र बजरंगलाल के नाम से दर्ज खातेदारी रही है। वादी के दत्तक पिता का स्वर्गवास हो चुका है, जिसकी विरासत का नामान्तकरण सख्या 220 दिंनाक 17.05.1985 के द्वारा जरिये विरासतन प्रतिवादी संख्या 01 के हक में दर्ज कि गयी है, जो गलत है। चुंकि वादी नाबालिग अवस्था में ही प्रतिवादी संख्या 1 के गोद जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व भरतलाल का दत्तक पुत्र सामाजिक रीति रिवाज अनुरूप समाज द्वारा घोषित किया जाकर अपने प्राकृतिक माता–पिता से प्राप्त समस्त अधिकार छोडकर दत्तक माता–पिता क समस्त सामाजिक, विधिक व कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिये थे तथा तत्समय ही वादी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गोद पुत्र घोषित कर सामाजिक रीति अनुरूप गोद–संस्कार कर, गिवन एण्ड टेकिंग सेरेमनी संपादित कर, नारियल–पतासे बांटकर, ढोल बजाकर, दत्तक पुत्र घोषित कर दिया था। तब से वाद अपने शैक्षणिक दस्तावेजात में माता की जगह प्रतिवादी संख्या 01 का नाम तथा पिता की जगह भरतलाल को नाम दर्ज करवाकर समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, सर्विस बुक आदि में दर्ज करवाकर आज भी प्रतिवादी संख्या 01 के साथ पैतृक मकान में सामलाती में निवास कर रहे है। हाल ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के हक में गोदनामा उपपंजियक कार्यालय मौजमाबाद में पंजिबद्व करवाया जा चुका है। इस प्रकार वादी विधिक रूप से भरतलाल व प्रतिवादी संख्या 1 का विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम पे–डिकी का वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से अपने समस्त हक–हकुक व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। मौके पर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बराबर-बराबर हिस्सा अनुरूप सामालाती में काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजीयात खाता संख्या 130 हिस्सा 1/2 में से वादी हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 खाता संख्या 52 में दर्ज हिस्सा 1/6 में से वादी हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/12 तथा खाता सख्या 114 में दर्ज हिस्सा 1/12 में से वादी 1/24 व प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/24 अनुरूप काबिजकाशत है तथा इसी अनुसार घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की अविभाजित पैतृक संपत्ति है तथा मौके पर काबिजकाश्त है तथा पैतृक भूमि संपूर्ण को बैचान करने का प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 दिगर व्यक्तियो के बहकावे में आकर उक्त भूमि को बेचान करना चाहती है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी अपने हक की घोषणा एवं स्थायी निषैधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 16.07.2020 का वाका है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को धमकि दी की वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि संपूर्ण मुताबिक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है तथा समस्त भूमि का बैचान कर वादी को उसके पैतृक हक से महरूम कर कब्जे से बेदखल करेगी। इसलिये आवश्यक हो गया है कि वादी माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर लेवें तदानुरूप वाद प्रस्तुत है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिकी फरमाया जाकर घोषणा खातेदारी इस कदर फरमाई जावे कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खाता संख्या 130 के आराजी खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279/1246 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53/1243 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.30 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर में दर्ज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 को हजफ कर वादी को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 114 के आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.19 हैक्टेयर दर्ज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/12 को हजफ कर वादी को हिस्सा 1/24 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/24 तथा खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 0.12 हैक्टेयर में दर्ज

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बू.

खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/6 को हजफ कर वादी को हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/12 भूमि वाके ग्राम गंगातीकला तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। डिकि कायम की जावे एवं डिकी की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें। वादी का वाद बावत स्थायी निषैधाज्ञा इस कदर डिकी फरमायी जावे की अनुतोष के मद संख्या 1 में अंकित आराजीयात से वादी के कब्जेकाश्त की भूमि पर जबरिया कब्जा नही करें, न ही वादे का कब्जे से बेदखल करे, न ही तारबंदी करे तथा न स्वंय करे न नौकर चाकर ऐजेन्ट आदि से करावें, सब पाबंद रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 05/11/2020 को प्रतिवादीनी संख्या 1 की ओर से श्री छोटुलाल गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान द्वारा साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 130, 114, 52 ग्राम गंगातीकलां, तह. मौजमाबाद, फोटो प्रति गोद पत्र आधारकार्ड जितेन्द्र, मन्जूदेवी, राशनकार्ड, अंकतालिका तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादी ने अपने वाद–पत्र में यह अंकित किया है कि "वादी स्व0 भरतलाल का दत्तक पुत्र है एवं भरतलाल ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था तथा भरतलाल की समस्त सेवा सुश्रुषा वादी द्वारा ही की गयी थी। प्रतिवादीनी संख्या 1 भरतलाल की पत्नी एवं वादीनी की दत्तक माता है, जिसने अकेले अपने नाम से आराजी दर्ज करवा ली, जबकि वादी के नाम भी लगनी चाहिये थी अब वादी द्वारा अपने नाम आराजी दर्ज करवाने हेतु यह वाद–पत्र पेश किया हैं।"

इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा से यह साबित है कि वादी स्व0 भरतलाल का दत्तक पुत्र हैं, उक्त गोदनामा उपपंजीयक मौजमाबाद के यंहा रजिस्टर्ड है, जो कि एक पंजीकृत एवं वैद्य दस्तावेज हैं। जिससे यह पाया जाता है कि वादी स्व0 भरतलाल का दत्तक पुत्र हैं इसके अलावा वादी द्वारा प्रस्तुत राशनकार्ड

सहायक कलक्टर
(मौजमाबाद)

में भी वादी का नाम प्रतिवादीनी संख्या 1 के पुत्र के रूप में दर्ज है एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, अंकतालिका आदि में वादी की वल्दियत दत्तक पिता भरतलाल की ही दर्ज है, जिससे उपर्युक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी स्व0 भरतलाल का दत्तक पुत्र है एवं कानूनन उसके भी प्रतिवादीनी संख्या 1 के साथ–साथ वादी के हक में भी विरासत का नामान्तरकरण बराबर हिस्से अनुसार खुलना चाहिये था। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से उपरान्त वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 130 की आराजी खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279/1246 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53/1243 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर व खाता संख्या 114 के आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 0.19 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गंगातीकलां तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीनी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज0।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (RAS.)

जितेन्द्र कुमार गौड पुत्र भरतलाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. गंगातीकला तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज. बनाम ① मंजु देवी धर्मपत्नि भरतलाल जाति ब्राह्मण नि. गंगातीकला तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज. ② शाखा प्रबंधक ③ तहसीलदार मौजमाबाद

दावा बाबत घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा न. 50/2020 सन

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भैरूलाल शर्मा Adv.

व हाजिरी ...... भिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री छोटूलाल गुर्जर Adv.

...... भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता सं. 130 की आराजी ख.न. 1139 रकबा 0.80 हैक्टे., ख.न. 22 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख.न. 23 रकबा 0.13 हैक्टे. ख.न. 279/1246 रकबा 0.25 हैक्टे. ख.न. 280 रकबा 0.72 ख.न. 52 रकबा 0.31 हैक्टे. ख.न. 53/1243 रकबा 0.12 हैक्टे. ख.न. 593 रकबा 0.30 हैक्टे. कुल किता 8 कुल रकबा 2.83 हैक्टे व खाता सं. 114 के आराजी ख.न. 51 रकबा 0.19 हैक्टे. तथा खाता सं. 52 के आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 0.12 हैक्टे भूमि वाके ग्राम गंगातीकला

खर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद बशरह ...... फीसदी ...... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...... माह ...... सन् ...... को जारी की गई।

मुहर सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) दूदू

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान्		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् ईजराय हुक्मनामा		
बाबत इजरांय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

पेज-1